इलाहाबाद कुम्भ मेले में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को हुई भगदड़ और मौतों पर पीयूसीएल यूपी की जांच रिपोर्ट

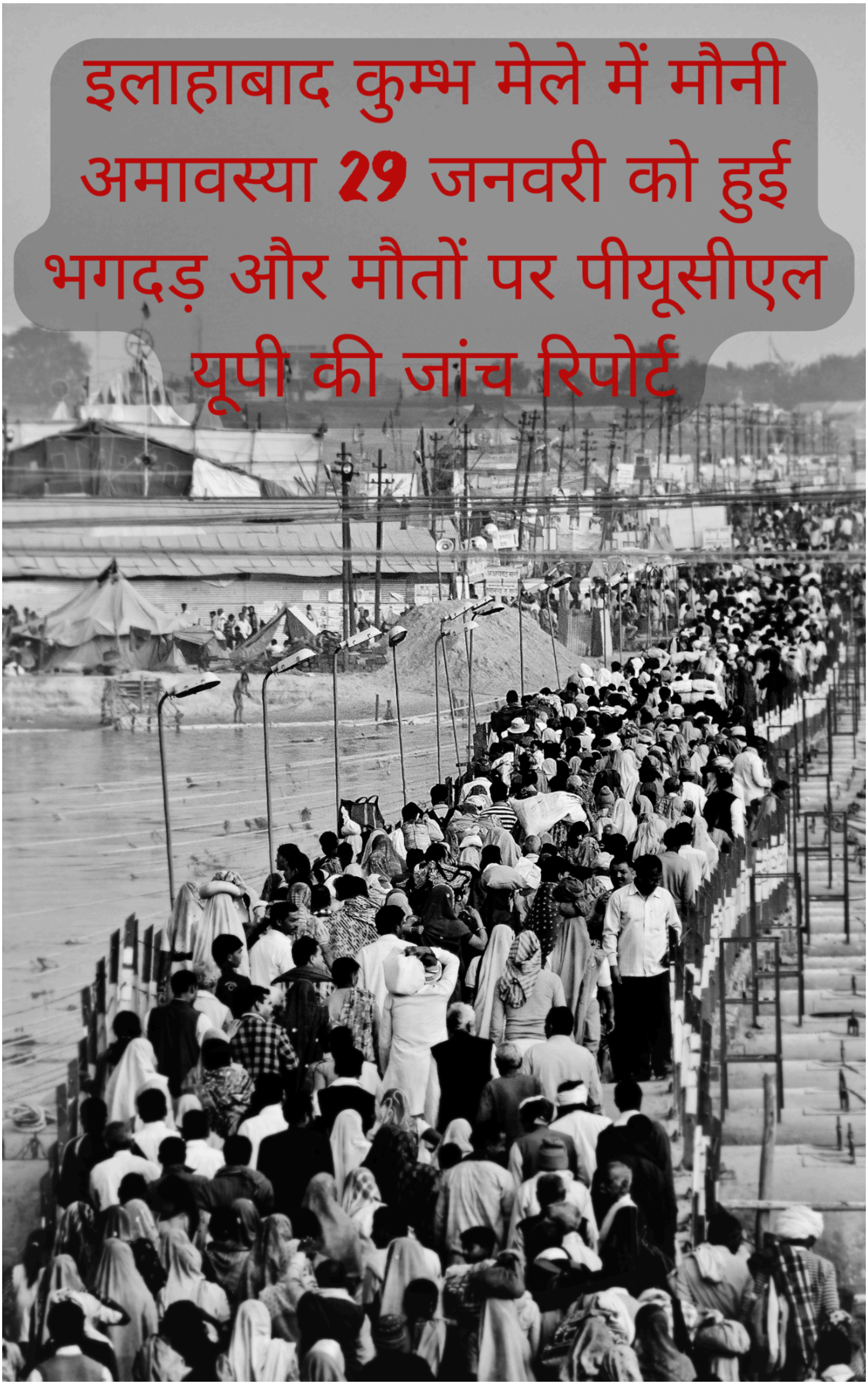

इलाहाबाद कुम्भ मेले में मौनी अमावस्या **29** जनवरी को हुई भगदड़ और मौतों पर पीयूसीएल यूपी की रिपोर्ट

इलाहाबाद में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाले मेले में 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात में संगम नोज़ पर भगदड़ की खबर आयी, घटना के लगभग 17 घण्टे बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस के सामने आकर बयान दिया कि भगदड़ में कुल 30 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन इस घटना के बाद लोगों के लापता होने और भगदड़ एक जगह नहीं 3 जगह होने की खबरें आने लगी। लापता लोगों के परिजन अपनों की खोज में बदहवास जिस तरह भटक रहे थे, सन्देह बढ़ गया कि मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़ों से अधिक हो सकती है। भगदड़ के 15-20 दिन बाद तक इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अफरा-तफरी का माहौल था, क्योंकि लोगों को अन्दर नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन वे अपने बिछड़े परिजन के बारे में जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर उनका हुआ क्या।

19 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के सवाल का जवाब देते हुए खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सदन में झूँसी भगदड़ की घटना को स्वीकार किया और भगदड़ की दोनों घटनाओं में मरने वालों का कुल आँकड़ा 37 बताया। इसके साथ ही सरकारी महकमों द्वारा भगदड़ के तुरन्त बाद ही इसमें आतंकवाद और साजिश की बात कही जाने लगी। सरकार ने साजिश के एंगल की जांच के लिए एसटीएफ का गठन कर दिया, जिसमें 'साजिश' के प्रस्थानबिन्दु से मामले की जांच की जानी थी। कुम्भ के पहले ही इसकी भूमिका बनाते हुए चैनल 'ज़ी न्यूज' ने मेले में नक्सल हमले की झूठी खबर भी चलाई थी।

पीयूसीएल यूपी की टीम ने लोगों की इस उहा-पोह के बीच ही इस बारे में तथ्यान्वेषण करने की योजना बनाई, ताकि भगदड़ का कारण और मृतकों की सही संख्या का अंदाजा लगाया जा सके।

पृष्ठभूमि

इलाहाबाद के संगम तट पर माघ के महीने में लगने वाला मेला सदियों पुराना है। माघमेला और कुंभ का स्नान भारत में सदियों की परंपरा का हिस्सा है। माघ मेले के साथ ही 12 साल पर लगने वाला कुम्भ का मेला भी उतना ही पुराना है। बल्कि इस बार जो प्रचार किया गया कि ‘यह कुम्भ 144 साल के बाद लग रहा है’, इसका तथ्यात्मक तर्क कोई नहीं दे सका है। फिर भी इस प्रचार के कारण इस बाद देश भर से बड़ी संख्या में लोगों ने इलाहाबाद का रूख किया। इस मेले को सुचारूपूर्वक सम्पन्न करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मे हैं।

इस मेले के ज्ञात इतिहास में 1954 में यहां बड़ी भगदड़ हुई थी, जिसमें लगभग 800 लोगों की मौत हो गयी थी। इसके बाद 2013 के महाकुम्भ में इलाहाबाद स्टेशन पर हुए हादसे में, जिसमें एक लोहे का पुल गिरने के कारण 42 लोगों की मौत हो गयी थी और 45 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के मेला प्रभारी आज़म ख़ान ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद की यह सबसे बड़ी घटना है। महाकुम्भ 2025 मेले की तैयारी लगभग डेढ़ साल पहले से ही षुरू हो गयी थी। इलाहाबाद शहर को मेले के लिए तैयार करने का काम इसके भी पहले से शुरू हो गया था। इस मेले के लिए केन्द्र और राज्य दोनों का मिला कर कुल 73 हज़ार करोड़ का बजट तय किया गया। मेले में पहली बार 2700 एआई कैमरे लगाये गये, जो हर चेहरे को स्कैन कर रहे थे। स्टेशनों को नये सिरे से तैयार किया गया और कई स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई गयीं।

इसकी तैयारी के साथ देश भर के शहरों में इस कुम्भ का प्रचार कर लोगों को आमन्त्रित किया गया। सरकार ने पहले ही अनुमान कर लिया था कि इस बार मेले में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और 15 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक षामिल होंगे। मेले का क्षेत्रफल इसबार 4000 हेक्टेयर यानी 40 वर्ग किलोमीटर था, जो कि पिछले कुम्भ मेलों से दोगुना अधिक था। इस क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया था, जिसमें कुल मिला कर 30 पाण्टून पुल बनाये गये थे, जिनका इस्तेमाल नदी क्षेत्र को पार करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें से केवल 18 पुल काम कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि 29 जनवरी के पहले केवल 3 पीपे के पुल ही काम में लाये जा रहे थे, बाकी को वीआईपी और अन्य प्रषासनिक कामों के आवागमन के लिए सुरक्षित रखा गया था। शहर से मेला क्षेत्र में जाने के लिए बने पीपा पुल नम्बर 15 पर 29 जनवरी को भी बैरीकेटिंग थी, जिसे भीड़ ने तोड़ दिया। वीआईपी आवागमन के लिए विशेष इंतज़ाम किये गये और यह मेला इसलिए भी जाना जायेगा कि मेलों के लिए बने नियम से अलग इस मेले में एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में वीआईपी स्टेटस के लोगों ने संगम स्नान किया।

मेला खतम होने के बाद यह घोषणा की गयी कि मेला क्षेत्र से 869 लोग अब भी लापता हैं।

पीयूसीएल जांच टीम

उत्तरप्रदेश पीयूसीएल की ओर से गठित टीम में राष्ट्रीय सचिव सीमा आज़ाद, प्रदेश महासचिव चित्तजीत मित्रा, कोषाध्यक्ष मनीष सिन्हा, पीयूसीएल सदस्य मृदुला और स्वतन्त्र पत्रकार सुषील मानव षामिल थे। टीम सबसे पहले स्वरूपरानी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस और मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस गयी। मेला क्षेत्र का दौरा किया। जगह-जगह गुमषुदा के लगे हुए पोस्टरों की तस्वीर ली और उनमें दिये गये नम्बरों पर बात की। मेले में भगदड़ के प्रत्यक्षदर्षी कुछ लोगों से बात की। साथ ही समाचारों से जानकारी इकट्ठा करके उसका अध्ययन किया।

पोस्टमार्टम हाउस का दौरा और निष्कर्ष

पीयूसीएल की टीम घटना के एक सप्ताह बाद स्वरूपरानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। स्वरूप रानी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में टीम से कहा गया कि यहां भगदड़ के बाद मृतकों के षव नहीं लाये गये हैं, बल्कि उन्हें मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। हमने वहां का मृतक रजिस्टर, जो सामने ही रखा था, देखने की आज्ञा मांगी, जिसे देखने पर हमें यह नज़र आया कि-

1-वहां पिछले एक सप्ताह में लाई गयी लावारिस और अज्ञात के रूप में दर्ज कई लाषों का प्राप्ति स्थान संगम या झंूसी दर्ज था। तस्वीरों से साफ पता चल रहा था कि शव कुचले हुए थे या उनकी मौत कुचलकर हुई होगी। हमने उनकी तस्वीरें लेनी चाहीं, लेकिन तस्वीरें लेने से हमें रोक दिया गया। स्वरूप रानी अस्पताल के इस पोस्टमार्टम हाउस में तस्वीरें लेने पर रोक सम्बन्धी नोटिस ताजा ही लगाई गई थी और वहां दो पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिये गये थे। जब टीम के सदस्य रजिस्टर को देख रहे थे, तब पुलिसकर्मी बिल्कुल पीछे आकर खड़े हो गये थे। लेकिन टीम के सभी सदस्यों का यह आकलन था, कि शवों की स्थिति से यह स्पष्ट था कि उनमें से कई कुचल कर मरे हुए लोगों की तस्वीरें थीं। जब हमने इस सम्बन्ध में कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने इसे भगदड़ के मृतक होने से इंकार करते हुए बताया कि ये उन मृतकों की तस्वीरें हैं, जो अलग-अलग थाना क्षेत्र में लावारिस पाई जाती हैं। लेकिन हमारा आकलन बना कि भगदड़ में कुचले गये शवों को जानबूझ कर दो अलग-अलग पोस्टमार्टम केंद्रों में भेजा गया और उनके वहां लाने की जगह और तारीख दर्ज करने में कई स्तरों पर हेराफेरी की गई है।

2-मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस, जहां पर ज्यादातर शवों को रखने की बात कही गई थी, पर पुलिसकर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई थी। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, और न ही परिजनों को जानकारी देने के लिए अधिकारी सहयोग कर रहे थे। कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। यहीं पर 3 फरवरी को मीडिया के लोगों द्वारा पोस्टमार्टम हाउस में घुसने की कोशिश करने को लेकर यहां के अधिकरियों/कर्मचारियों और पत्रकारों के बीच झड़प होने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद यहां बड़ी संख्या में पुलिस का पहरा लगा दिया गया था।

3- स्वतंत्र समाचार मीडिया “न्यूज लॉन्ड्री” ने रिपोर्ट किया कि उनके पास जो सूची हैं उसके आधार पर मोतीलाल नेहरू अस्पताल में 69 और स्वरूप रानी अस्पताल में 10 शव उन्होंने देखे। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहरा और किसी को भी न घुसने देना भी मृतकों की संख्या को लेकर सन्देह बढ़ाता है।

4- एक मित्र के माध्यम से पीयूसीएल टीम के संज्ञान में यह तथ्य आया कि बिहार से आई एक महिला तीर्थयात्री सुनैना देवी, जो कि घटना के बाद से लापता थीं और उनके रिश्तेदारों को बार-बार पोस्टमार्टम केंद्र से वापस भेज दिया जा रहा था। लेकिन जब वे एक प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से पोस्टमार्टम गृह में प्रवेश पाने में सफल हुए, तो उन्हे वहां सुनैना देवी का शव दिखा। यह खबर बाद में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार में भी प्रकाषित हुई और कई लोकल चैनलों पर दिखाई गयी। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि शव छिपाने के प्रयास में पोस्टमार्टम हाउस में घुसने से लोगों को रोका जा रहा था।

दिये गये नम्बरों पर टीम के लोगों की बातचीत

पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, मेले में 28-29 जनवरी की रात गुम हुए लोगों की फोटो वाले ढेरों पोस्टर लगे थे, जिसकी तस्वीरें हमने लीं और उनमें दिये गये नम्बरों पर टीम के सदस्यों ने बात भी की। जिससे पता चला कि उनमें से कुछ के खोये परिजन घर पहुंच गये हैं, लेकिन इसमें उन्हें प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, बल्कि वे अपने प्रयास से कई दिनों के बाद घर लौट सके। सबकी अपनी अलग दर्दनाक कहानी थी। सबकी मदद जनता ने की और वे घर पहुंचने में सफल हुए। उनमें से कई तो अभी भी बात करने की स्थिति में नहीं थे और उनके परिजनों ने ही उनके लौटने की कहानी फोन पर बतायी। इसके अलावा कुछ लोग जब उन्हें कॉल किया गया था उन्होंने बताया कि वे तब भी अपने परिजनों का वापस आने का इंतेज़ार कर रहे थे परंतु उन्हें खोया पाया केंद्र से किसी का भी कॉल उक्त समय नहीं आया था।

लोगों के बयान

मेला प्रशासन और सरकार ने संगम नोज पर हुई भगदड़ की केवल एक घटना को स्वीकार किया है, लेकिन तीर्थयात्रियों, दुकानदारों, विभिन्न इलाकों के निवासियों और यहां तक कि पुलिस कांस्टेबल के साक्षात्कारों और 'लल्लनटॉप यूट्यूब चैनल' में झूंसी के सेक्टर 21 में भी चप्पलों और कपड़ों के ढेर हटाए जाने के फुटेज दिखाए थे। चैनल ने जिन प्रत्यक्षदर्शियों से साक्षात्कार किए थे, वे बाद में रहस्यमय तरीके से 'गायब' भी बताये गये। मुख्यमंत्री ने भी 19 फरवरी को सदन में झूंसी में हुई भगदड़ को स्वीकार किया, लेकिन मरने वालों की संख्या सिर्फ सात बताई।

'डेक्कन हेराल्ड' द्वारा रिपोर्ट की गई खबर में भगदड़ की एक तीसरी घटना सेक्टर 10 में जीटी रोड पर हुई, जहां महामंडलेश्वर (आध्यात्मिक नेता) के लिए रास्ता साफ करते समय कम से कम 3 महिलाओं की मौत हो गई। लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं कर सके।

संगम नोज पर होने वाली भगदड़ की केवल एक चश्मदीद गवाह ही हमें मिल सकीं, जो कि 28-29 जनवरी के बीच की रात में भगदड़ हो जाने के बाद संगम नोज की ओर स्नान के लिए जा रही थीं। षिवकुटी में रहने वाली बबीता नाम की इस चष्मदीद ने हमें बताया कि वे रात करीब दो बजे संगम नोज पर पहुंचने ही वाली थीं, तभी संगम की ओर से उन्होंने बदहवास भीड़ को अपनी ओर आते देखा, कुछ लोगों के कपड़ों पर खून भी लगे थे, एक आदमी यह कहते हुए भाग रहा था कि 'वहां कोई मत जाओ वहां लोग मर रहे हैं।' बबीता जो अपने पति के साथ संगम नहाने पहुंची थीं, वे तुरन्त संगम नोज से थोड़ा दूर के घाट की ओर मुड़ गयी, इसके लिए उन्हें बांस की बैरीकेटिंग लांघनी पड़ी, क्योंकि घटना स्थल से भागने वाले सभी ऐसा ही कर रहे थे। उन्होंने स्नान किया लेकिन तब तब तक उन्हें कुछ खास पता नहीं चला था कि क्या हुआ है। लेकिन जितनी देर वे वहां रहीं, एम्बुलेंस की आवाज उन्हें लगातार सुनाई देती रही। उन्होंने बताया कि उस समय भी संगम पर हज़ारों लोग जमा थे, वे जल्दी से नहाकर लौट आयीं।

इसके अलावा हमें संगम पर होने पर होने वाली भगदड़ का बयान नहीं मिला। लेकिन टीम ने मीडिया में प्रसारित कई लोगों के बयान इकट्ठा किया, जिसमें भगदड़ होने की बात बताई गई थी, जो कि अब सबके सामने है।

वीडियो के लिंक- https://youtu.be/qUAMehImH9A?si=-Jr9Vm21xLseJRj5

https://youtu.be/a2l4AOXS2ng?si=M1ufQ7uOB4xqosVI

इन वीडियो में किसी में भी मौतों का आंकड़ा नहीं बताया, बस अपने बच निकलने और अपने परिजनों के बिछड़ने की व्यथा बताई।

लेकिन हमें झूंसी में हुई भगदड़ के 13 चष्मदीद गवाह मिल गये। चष्मदीदों की तलाश में हमें काफी वक्त लगाना पड़ा, जो कई दिन बाद जाकर मिल सके।

झूंसी में हुई भगदड़ के चश्मदीद गवाह

हमें झूंसी में हुई भगदड़ के कुल 13 गवाह मिले। इनमें से दस औरतें थीं, जो कि इलाहाबाद के ही फतेहपुर बिछुआ मोहल्ले में रहती है। शोभा यादव, रामप्यारी, दीपाली यादव, अनिता, श्वेता यादव, आकांक्षा राय, रंजीत यादव और सबलू यादव से हमने साक्षात्कार किया। इनमें से कुछ ने हमें फोटो लेने की इजाज़त भी दी।

फोटोः झूंसी में हुई भगदड़ के कुछ चश्मदीद

भगदड़ को सरकार द्वारा नकारने की बात पूछने पर सभी महिलाएं फट सी पड़ीं, उन्होंने बताया कि वे कुल 10 महिलायें और बच्चे एक साथ रात 2 बजे संगम की ओर गयीं थी। पुल नम्बर एक से होकर वे सेक्टर 21 पहुंचे थे और संगम में स्नान करके लौट रहे थे। लौटते समय यहीं पर वे सभी भगदड़ में फंस गये। उनका कहना था कि जब वे पुल नम्बर एक की तरफ पहुंचे तो वहां से पुलिस वाले लोगों को ढकेल रहे थे। इसी रास्ते पर नागवासुकी की तरफ से भी लोग आ रहे थे और संगम की तरफ से भी। एक जो पीपे का पुल संगम की ओर जा रहा था, वह बंद हो गया, क्योंकि अखाड़े षाही स्थान के लिए निकलने वाले थे। इसलिए वहां से सबको लौटाया जा रहा था, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां चलानी षुरू की, उसके बाद वहां भगदड़ षुरू हो गयी। भगदड़ के बीच ही वहां की सभी लाइटें बंद हो गयीं। इतना अधिक जमावड़ा था, कि फोन की लाइट जलाने के लिए उसे निकालने का मौका भी नहीं था। सभी एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। हम सबने एक-दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन अब वो छूटने लगा, हम एक दूसरे से बिछड़ने लगे। हमने चिल्लाकर एक दूसरे को बच्चों और दो बूढ़ों की जिम्मेदारी सौंप दी और अपना हाथ छोड़ दिया, नहीं तो दबाव से हमारा हाथ टूट

जाता या तो हम नीचे गिर सकते थे। एक दूसरे को छोड़ कर हम किसी तरह से आगे बढ़ते गये, हमने एक दूसरे से चिल्लाकर कर कहा कि 'सब लोग अपने आप घर पहुंचो, साथ चलने के चक्कर में हम मर जायेंगे'। हम सभी अलग हो गये थे। सभी की चप्पलें पैर से निकल चुकी थीं और लोग अपने को बचाने के लिए अपना स्वेटर, जैकेट दुपट्टा और यहां तक कि पहनी हुई साड़ी जैसे खिंच जाने वाले कपड़े छोड़ कर आगे बढ़ रहे थे। बस सभी को किसी तरह अपनी जान बचानी थी। उन्होंने बताया कि इस भगदड़ में सबसे अधिक घाघरा पहनने वाली औरतें (राजस्थानी महिलायें) गिरते दिख रही थीं। बहुत सारे बच्चे अपने मां-पिता से अलग होकर गिर गये और कुचल गये या बिछड़ गये। इन चष्मदीदों ने अपनी आंखों से कई लाषें देखीं, जिनके बारे में उनका कहना था कि मरे लोगों के चेहरे उनके दिमाग से उतर ही नहीं रहे हैं। घटना का बयान करते हुए भी उनके रोंगटे खडे हो गये और उनके चेहरे पर दहशत छा गई। भगदड़ में एक दूसरे को सहेजते हुए चिल्लाने के कारण और भीड़ में अत्यधिक घुटन के कारण उनके और ज्यादातर लोगों के गले फट गये। सबको भयंकर गर्मी और प्यास लग रही थी, किसी को पानी पीने को नहीं मिल रहा था। लोग एक-दूसरे से पानी मांग रहे थे। लेकिन आस-पास कोई नल नहीं था, या पानी की कोई सुविधा नहीं थीं। लोग पानी खरीदने के लिए 200-300 भी देने को तैयार थे, लेकिन पानी कहीं नहीं मिल रहा था। जिनके लिए संभव हो सका, वे अपने पास से संगम का जल निकाल कर पी रहे थे और लोगों को दे रहे थे। लेकिन इतनी भीड़ में वो अपर्याप्त था। उनका कहना था कि भगदड़ के समय पुलिस वाले भी अपनी जान बचाकर भाग गये। खुद भीड़ से निकलते हुए कुछ पुलिस वालों ने इनमें से रेखा यादव को भी वहां से निकालने में मदद की और किसी तरह से उन्हें झूंसी पुल तक पहुंचाया, लेकिन वहां भी बहुत अधिक भीड़ थी। भगदड़ में अनीता के पैर का नाखून उखड़ गया और खून बहने लगा, लेकिन उसी स्थिति में उन्हें नंगे पैर पैदल चलना पड़ा, झंूसी पुल पर आकर उन्होंने पैर में एक पॉलिथीन बांधा और घर तक पहुंची।

लगभग 65 वर्षीय षोभा यादव अपनी लड़की के साथ अपने समूह से बिछड़ गयीं थीं। वे दिल की मरीज़ हैं। उन्हें उनकी लड़की ने दोनों हाथ फैलाकर किसी तरह से भीड़ बचाये रखने और गिरने न देने का प्रयास किया और बाहर निकलने का एक रास्ता खोजा, जो कि बेहद गंदे नाले से होकर जाता था। लेकिन जान बचाने के लिए उनके सहित कई लोग उस बजबजाते नाले से होकर सुरक्षित जगह पर आये और सबसे देर में घर पहुंचे। सभी यह सोच रहे थे कि उनके साथ कुछ अनहोनी घट चुकी है। षोभा यादव को लगा था कि ये उनका आखिरी दिन है, लेकिन वे अपनी बेटी के साथ षाम 4 बजे घर पहुंच गईं। जब वे पहुंची, तो अनहोनी की आषंका में उनके दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। वे सबसे अंत में पहंुची, उनके घर पहुंच जाने के बाद सभी औरतें मिल कर देर तक रोती रहीं। षोभा यादव का कहना था कि वे जिस नाले के रास्ते भीड़ और भगदड़ से बचकर आईं हैं उसकी गन्दगी अब भी उनके ज़ेहन से नहीं निकल रही, इसके कारण उनसे खाना नहीं खाया जा रहा। रेखा का गला उसके एक महीने बाद भी ठीक नहीं हो सका और सभी के पूरे शरीर में एक महीने बाद भी दर्द था।

आकांक्षा राय अपने पति और दो साल के बच्चे के साथ इसी समूह के साथ नहाने गयी थीं। उनके पति फौज में हैं। उन्होंने भी भगदड़ की इसी तरह की कहानी बतायी और कहा कि वे किसी तरह अपने बच्चे को बचा कर ला सकीं हैं। ये बताते हुए उनकी आंख में फिर से दहषत छा गयी थी कि मेले में उनके छोटे बच्चे को कितना ज्यादा घुटन होने लगी थी और वो ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था।

रेखा यादव के घर के पुरूष सदस्य, जो कि उस दिन स्नान के लिए नहीं गये थे, बल्कि अपने घर के सदस्यों को खोजने के लिए सुबह के समय मेला क्षेत्र में पहुंचे थे। सबलू यादव और रंजीत यादव ने अपनी आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि सुबह सोते हुए ही उनके पास उनके किसी रिष्तेदार ने रोते हुए फोन किया कि मेले में बहुत लोग मर गये हैं, और घर के जो लोग गये हैं, उनमें से किसी का फोन मिल नहीं रहा, ज़रा पता करो। सबलू और रंजीत ने भी सबको फोन लगाया, लेकिन किसी का फोन नहीं लगा। बाद में पता चला कि संगम की भगदड़ के बाद मेले में फोन जैमर लगा दिया गया था, ताकि भगदड़ और मौतों की सूचना फैलने न पाये। इसके बाद ये दोनों लोग मोटर साइकिल लेकर किसी तरह

से मेले के अन्दर घुसे और 'खोया पाया केन्द्र' गये, जहां पर पहले से ही बहुत अधिक भीड लगी हुई थी, सभी के परिजन भगदड़ के बाद खो गये थे। लोगों से कहा जा रहा था, कि 'खोये हुए परिजनों के नाम और पहचान कागज पर लिख कर दो' लेकिन किसी के पास कागज-पेन नहीं था। कई लोगों की मदद रंजीत और सबलू ने अपनी डायरी के पन्ने फाड़कर और उनके नाम लिख कर किया। वे लगातार अपने परिजनों के फोन भी मिलाते रहे और संगम के आसपास घूमते भी रहे। सुबह आठ बजे के आसपास उन्होंने मेला क्षेत्र स्थित अस्पताल में भी जाकर पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लगभग 8-10 लाशें सुबह के समय वहां पड़ी हुई थीं। अन्ततः 9 बजे के करीब किसी एक का फोन लग गया और उसने बताया कि वे सुरक्षित हैं। कुछ और देर बाद घर से कुछ और लोगों के पहुंचने की खबर आयी। सबलू ने बताया कि इस खबर के बाद उन्होंने भी भगवान को धन्यवाद स्वरूप संगम में पांच डुबकी लगाई, और हर डुबकी में ढेरों चप्पलें उनके सिर पर बहती हुई दिखाई दीं। इससे उन्हें भगदड़ की भयंकरता का अंदाज़ा हुआ। घाट कर भी ढेरों चप्पलें लावारिस पड़ी हुईं थीं।

महाकुम्भ कवर करने वाले पत्रकारों का अनुभव

कुम्भ आयोजन में बदइंतजामी और भगदड़ की घटना को लेकर टीम के पत्रकार साथी सुषील मानव ने फोर पीएम के क्षितिजकांत, ओबीसी टाइम्स के विवेक यादव, डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट के जेपी सिंह, समकालीन जनमत के केके पाण्डेय सहित कई अन्य पत्रकारों से बात की, उनमें से अधिकांश की राय कमोवेश एक जैसी है। जिनके अनुसार भगदड़ जैसी घटनाएँ इसलिए हुईं क्योंकि-

1-घाट तक आने जाने-जाने के लिए अलग-अलग रास्ते नहीं थे। एक ही रास्ता होने से लोग आमने-सामने आ गए। उसी में धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मची।

2-अगर अलग-अलग रास्ते नहीं थे, तो उसी रास्ते को बीच में बाँस का डिवाइडर लगाकर डिवाइड कर देना चाहिए था इससे लोगों के आने-जाने में सुगमता होती और भीड़ आमने-सामने नहीं आती।

3-29 जनवरी मौनी अमावस्या के मौके पर सरकार और मेला प्रशासन को 10 लाख लोगों के गंगा स्नान करने आने का अनुमान था। ऐसे में सभी पीपा पुलों को, जिन्हें मेले के लिए ही बनाया गया था, न खोलने का फैसला भी समझ से परे है।

4-अनुभवी पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को दरकिनार करके नये पुलिस अधिकारियों को मेला प्रशासन और प्रबंधन का काम सौंपा गया था जो पूरी तरह से इस बात से अनभिज्ञ थे कि भीड़ को कैसे, किस तरह से मैनेज किया जाता है।

5-मेला प्रशासन का जिम्मा सम्हाल रहे लोगों का पूरा जोर मेला क्षेत्र में वीआईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मेनटेन रखने, वीआईपी मूवमेंट को सुगम बनाने और मीडिया मैनेजमेंट करने पर था। जबकि भीड़ मैनेजमेंट और निगरानी के लिए वो पूरी तरह से ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी पर निर्भर थे। ग्राउंड लेवल पर जितनी भीड़ थी, उस भीड़ को हैंडल करने के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या पर्याप्त नहीं थी।

6-मेला क्षेत्र में लगातार होते वीआईपी मूवमेंट की वजह से पुलिस प्रशासन का फोकस पूरी तरह से जनता से कटकर सरकार पर शिफ्ट हो गया था। मौनी अमावस्या के दो दिन पहले 27 जनवरी को केंद्रीय गृहमंत्री पूरे दिन मेला क्षेत्र में मौज़ूद रहे थे। 28 जनवरी को भी मुख्यमंत्री समेत कई वीआईपी मेला क्षेत्र में मौज़ूद थे। और बिल्कुल आखिरी समय तक पुलिस आलाकमान उनकी सेवा में लगा रहा। जिसके चलते उन्हें मौनी अमावस्या नहावन के आयोजन और भीड़ प्रबंधन के लिए समुचित तैयारी करने का समय नहीं मिला।

7-झूँसी में भगदड़ वाली जगह पर निकासी मार्ग में स्थित दास धर्म शिविर सेक्टर 21 में भंडारा चल रहा था जिसके चलते भीड़ का प्रेशर वहाँ बढ़ा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भंडारे के चलते लोग उस शिविर में घुस रहे थे जबकि शिविर के साधुओं द्वारा लोगों को बाहर खदेड़ा जा रहा था। निकासी मार्ग पर भीड़ वाले दिन इस तरह के आयोजन नहीं होने देना चाहिए था।

8-मेला क्षेत्र में स्थित तमाम अखाड़ों ने भी वीआईपी सेवा शुरु कर रखी थी। एक तरह से टूर एंड ट्रेवेल्स सर्विस। जिनके मुख्य उपभोक्ता टेक और मैनजमेंट क्लास के लोग और कुछ छोटे व्यापारी, ठेकेदार और दलाल किस्म के लोग थे। जूना अखाड़े के पास झूँसी छतनाग में इसी क्लास के लोगों के लिए एक 150 कॉटेज की अवैध टेंटसिटी बसाई गई थी जिसका नाम 'जुस्ता शिविर' था। क्योंकि प्रशासन और वीआईपी पास वाली गाड़ियों के अलावा अखाड़ों की गाड़ियों को भी मेला क्षेत्र से संगम तक आने-जाने की

छूट मिली हुई थी। अतः अखाड़ों की गाड़ियाँ इन लोगों को संगम तक ले आने, ले जाने के काम में लगी हुई थीं।

9-मेला क्षेत्र के बाहर शहर की सड़कों पर यातायात की व्यवस्था सुचारू नहीं थी, जिसकी वजह से भी लोग मेला क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में फँसे हुए थे। अगर यातायात सुचारू होती तो लोग मेला क्षेत्र से निकलकर अपने घर का रास्ता नापते।

10-सरकार और मेला अधिकारियों का पूरा फोकस नंबर गेम खेलने और विश्व रिकॉर्ड बनाने पर था। फिर चाहे वो 45 दिनो में 66 करोड़ लोगों के कुंभ में नहाने का टारगेट, मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग, मकर संक्रांति पर 4 करोड़ लोगों के नहाने का हो, या 15 हजार सफाईकर्मियों को एक जगह जुटान करके सबड़े बड़े सफाई अभियान का रिकॉर्ड बनाने का हो या 300 किलोमीटर लंबा जाम लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने का। एक पागलपन सा चढ़ा हुआ था सबके दिमागों पर और इस पागलपन को लोगों के दिमाग में मीडिया द्वारा '144 साल बाद कुम्भ' के मनोवैज्ञानिक टूल से मैनिपुलेट किया जा रहा था। सिर्फ इसीलिए कि लोग एक नंबर बन सकें एक आँकड़े में बदल सकें।

कुछ खबरें अखबारों से

1-समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' के अनुसार विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ के 45 दिन तक चले मेले में कुल 185 स्थानों पर आग की घटनाएं हुईं थीं, लेकिन इन्हें त्वरित कार्रवाई कर फैलने से रोका जा सका। इसमें 24 बड़ी अग्नि दुर्घटनाएं थीं, जिन पर अग्निशमन विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कम से कम समय में नियंत्रण पा लिया। गोरखपुर के गीता प्रेस टेंट में भी आग लगी थी।

इस खबर का लिंक-
https://www.jagran.com/uttar-pradesh/prayagraj-prayagraj-maha-kumbh-2025-have-185-fire-incidents-quick-action-prevents-major-damage-23895279.html

2- भगदड़ से जो बच भी निकले उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित। रात में सोते वक्त अचानक चौंक कर उठ जाती है कुंभ से लौटी श्रद्धालु।

लिंक:
https://www.bhaskar.com/local/bihar/news/women-returning-from-kumbh-wake-up-startled-at-night-134435340.html

3-बिहार के 15 नागरिकों की मौत हुई परंतु उनमें से कइयों को सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं। प्रयागराज से 15,000 रुपए थमा के भेज दिया गया। दरभंगा के 75 वर्षीय कारी मंडल की बॉडी पर नंबर 38 लिखा पाया गया।

लिंक-
https://www.bhaskar.com/local/bihar/news/these-deaths-happened-in-the-stampede-of-kumbh-not-confirmed-134459305.html

4-यह रिपोर्ट लिखे जाने के समय 7 अप्रैल 2025 को 'हिन्दुस्तान' अखबार में यह खबर प्रकाशित हुई कि कुंभ भगदड़ में मरने वालों को नगरनिगम प्रयागराज द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, और 50 मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक बांटा जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक 35 मृत्यु प्रमाणपत्र झूंसी जोन के हैं।

लिंक-
https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/prayagraj/story-death-certificates-issued-by-prayagraj-municipal-corporation-during-maha-kumbh-201744093886770.html

5-मेला समाप्त होने के बाद यह बात सामने आयी कि कुल 869 लोग, जिनका खोया पाया केन्द्र में दर्ज किया गया। उनका कोई पता नहीं चल सका।

लिंक-
https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/prayagraj/news/869-still-missing-even-after-maha-kumbha-ends-134604953.html

6-सबसे दर्दनाक बात यह है कि झूंसी सेक्टर में जो भगदड़ मची, डीआईजी और प्रशासन के नजर में ऐसी कोई घटना वहां पर नहीं घटी, जबकि वहीं पर जेसीबी और ट्रैक्टर के द्वारा मलबे को हटाया जा रहा था, जिसे लोगों के साथ लल्लन टॉप चैनल ने प्रसारित भी किया।

लल्लन टॉप का लिंक: https://youtu.be/BTk_RAzN160?si=tltAhA1T5_f_1Fpy

7-खबरों में यह आया कि कर्नाटक सहित कुछ राज्य की कार वहां पर लावारिस खड़ी मिली। कार मलिक की मौत हो गई या वह लापता है, इसकी जानकारी देने वाला वहां पर कोई नहीं था।

लिंक-
https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/up-prayagraj-mahakumbh-parking-four-cars-left-by-owners-from-mp-karnataka-201738730316896.html

हमारा निष्कर्ष

इन तथ्यों से गुजरने के बाद पीयूसीएल की टीम जिन निष्कर्षों पर पहुंची हैं उसके अनुसार-

भगदड़ के कारण:

महाकुंभ 2025 मेले में कई ऐसे मामले थे, जिनमें प्रशासन का कुप्रबंधन साफ दिखता है-

1-सन 1954 में भी इलाहाबाद के महाकुभ मेले में भगदड़ हुई थी, जिसमें 800 लोगों की मौत हो गयी थी। इसे तत्कालीन सरकार ने आगे होने वाले मेलों और सार्वजनिक आयोजनों के लिए एक सबक मान कर मामले की जांच के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले थे, जिसे उसके बाद से ही ऐसे मेलों में या सार्वजनिक जमावड़ों पर लागू किये जाने के दिषा निर्देश हैं। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे-

1-मेले के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा खुली जगह छोड़ना और

2- मेलों में वीआईपी आवागमन को रोकना।

लेकिन इस बार के कुंभ मेले में इन दो महत्वपूर्ण बातों की खुलेआम अवहेलना की गई।

1-गंगा और यमुना के किनारे बसे इलाहाबाद शहर में इन दोनों नदियों का किनारा एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करता है, लेकिन संगम का वास्तविक क्षेत्र (संगम नोज) एक संकीर्ण क्षेत्र है, जिसमें करोड़ों लोग तो दूर, लाखों लोग भी नहीं आ सकते थे। इसीकारण 1954 के बाद के कुंभ मेलों के दौरान की गई व्यवस्थाओं में संगम में प्रवेश काफी सीमित और नियंत्रित था, यहां पहुंचने के पहले यात्रियों को जलेबीदार खुले स्थान से गुजारकर धीरे-धीरे प्रवेश दिया जाता था। इसके लिए संगम के पास मौजूद परेड ग्राउंड को हर बार इसी दृष्टिकोण से खुला रखा जाता है, ताकि यहां पर यात्री संगम जाने के पहले आराम कर सकें या अपना डेरा डाल सकें। लेकिन इस बार के कुंभ प्रबंधन में मेले के लिए जरूरी खुले क्षेत्र को छोड़ने के नियम की सरासर अवहेलना की गई। अधिक स्नानार्थियों का रिकार्ड बनाने और अमीर और वीआईपी घुमन्तुओं को आकर्षित करने के लिए मेले की खुली जगहों में दुकानें और भव्य टेण्ट सिटी बसा दी गयीं। इस बार मेले में भव्य पंडालों के सामने मेला क्षेत्र की सड़कें अत्यन्त संकरी थीं, उसमें गुजरते हुए हर समय घुटन का एहसास होता था। यहां तक की मेले के सबसे महत्पपूर्ण क्षेत्र संगम नोज के लेटे हनुमान मन्दिर के बीच की जो खुली जगह थी, उसमें भी ‘हनुमान कोरिडोर’ बनवाकर उस जगह को सीमित कर दिया गया। यह मेले के नियम का बड़ा उल्लंघन हैं। हनुमान कोरिडोर के सामने ही अकबर के किले के अन्दर अक्षयवट-पातालपुरी में जाने के लिए भी एक भव्य द्वार का निर्माण कर दिया गया। इसके पास ही पुलिस चैकी भी बना दी गयी है, जिसने संगम के क्षेत्र को तो संकुचित कर ही दिया किले की षोभा को भी नष्ट कर दिया। यह तब किया गया, जबकि हर साल सितम्बर के महीने में गंगा नदी का फैलाव लेटे हनुमान मन्दिर तक अवष्य होता है। इस निर्माण के कारण नदी के इस फैलाव में भी बाधा आयेगी, जिससे पानी के और दूर तक फैलाव होगा। नदी का हनुमान मन्दिर तक फैलाव इस आस्था से भी जुड़ा है कि हर साल गंगा मइया हनुमान जी को नहलाने आती हैं। यहीं पर हर मेले में आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया जाता है और यहीं पर भगदड़ की घटना हुई।

कुल मिलाकर इस बार इस खुले स्थान को काफी अधिक संकुचित कर दिया गया, जबकि भीड़ इस साल अधिक आमन्त्रित की गयी। साथ ही भव्य टेण्टों और पण्डालों के निर्माण ने मेले की खुली जगह को

संकुचित कर दिया। इसी संकुचित जगह में लोगों के समागम करने का विष्व रिकार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था।

2-यह भी तथ्य सामने आया कि ढेरों पीपे के पुल इसलिए बंद रखे गये थे, ताकि उन्हें वीआईपीओं के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1954 के मेले में भगदड़ के बाद यह चिन्हित किया गया था कि मेले में वीआईपी के जाने पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि इससे एक तो प्रषासन का एक बड़ा हिस्सा, जिसे मेले के प्रबंधन में लगना था, वो वीआईपी प्रोटोकाल और उनकी सुरक्षा में लग जाता है, दूसरे जनता के बीच उन्हें देखने की अफरा-तफरी में सारी व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। लेकिन इस बार के मेले को वीआईपी लोगों को ध्यान में रखकर ही बसाया गया था। हर दिन मेले में कोई न कोई वीआईपी आ रहा था। संगम के संकीर्ण क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा वीआइपी लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि मुख्य स्नान के दो दिन पहले ही यहां गृहमंत्री अमित षाह मेले में थे। मुख्यमंत्री खुद डेढ़ महीने में लगभग 12 बार मेला क्षेत्र में आये और पुलिस प्रषासन का एक बड़ा महकमा लगातार उनके पीछे लगा रहा। उन्होंने इसका भी रिकार्ड बनाया कि वे कुम्भ में सबसे अधिक आने वाले मुख्यमंत्री हैं।

इस आयोजन में आम लोगों की हैसियत दोयम दर्जे के नागरिक की बना दी गई। जो कुम्भ अभी तक आम लोगों का महोत्सव था, उसमें खास लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फाइव स्टार होटल को मात देते टेंट सिटी बसाकर, पूरा अरैल इलाका उनके लिए आरक्षित कर दिया गया। 30 में से सिर्फ दो पीपा पुल आम लोगों के लिए थे, एक पुल प्रशासन और फॉयर सेफ्टी तथा एक पुल मेला क्षेत्र में सामान पहुँचाने वाले वाहनों के लिए आरक्षित मान लिया जाए, तो भी बाकी के 24-25 पुल किसके लिए आरक्षित थे यह बताने की जरूरत नहीं है।

3- मेले में नदी के आर-पार आने-जाने के लिए 30 पांटून पुलों का निर्माण किया गया था, जिनमें से कई को कुंभ प्रशासन द्वारा 29 जनवरी, 2025 से पहले ही बिना किसी स्पष्टीकरण के बंद कर दिया गया। जिसके कारण 29 जनवरी को इन दो-चार पांटून पुलों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। संगम नोज पर यात्रियों के लिए 'वन वे' ट्रैफिक की व्यवस्था ने लापरवाही को और बढ़ा दिया। ऐसा माना जा रहा है कि यह इन्तजाम इसलिए किया गया था, ताकि इसके वीडियो फुटेज का इस्तेमाल भीड़ दिखाने के लिए किया जा सके, ताकि यह बताया जा सके कि कई करोड़ की भीड़ वहां उपस्थित थी, यह किया भी गया।

4- इतनी भीड़ वाली जगह पर सबसे बड़े स्नान के दिन लाइट काटकर अंधेरा कर देने की बात भी मेले के गंभीर कुप्रबन्धन को दर्षाती है। झूंसी के भगदड़ में फंसे सभी चष्मदीदों ने और कुछ चैनलों यह बताया कि भगदड़ के समय वहां की लाइट काट दी गयी थी और लोगों के फोन जैमर के कारण बंद कर दिये गये थे। अगर यह इन्तजाम किसी दुर्घटना को रोकने के लिए भी किया गया, तो उसका वैकल्पिक इन्तजाम न करना प्रषासन की लापरवाही को दर्षाता है, जिसके कारण दुर्घटना की विभीषिका बढ़ गयी। ऐसा लगता कि संगम पर हुई भगदड़ के कारण बदहवाषी में मेला प्रषासन ने लोगों को झूंसी की तरफ से निकालना षुरू कर दिया और इस उहापोह के कारण यहां जब भगदड़ मची, तो इसे छुपाने के प्रयास में यहां की बिजली काट दी गयी और फोन में जैमर लगा दिये गये ताकि घटना की फोटो और खबर फैलने न पाये। प्रत्यक्षदर्षियों ने अपने बयानों में कहा कि अगर सरकार का बस चलता तो हमारे दिमाग और आंखें भी निकाल लेते। लेकिन अब यह घटना हमारे दिमाग में तो दर्ज हो चुकी है, जो मरते दम तक हमारे साथ रहेगी और हमें डराती रहेगी।

5-इस महाकुंभ के लिए इलाहाबाद में तैनात पुलिसकर्मियों का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय नहीं था और इसलिए वह शहर की सड़कों, गलियों और उसकी भौगोलिकी से परिचित नहीं था। मेले के पहले इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी। अतः वह भीड़ को अपने विवेक से गाइड करने में अक्षम था। कई पुलिसकर्मियों ने नाम न बताने की शर्त पर पीयूसीएल की जांच टीम को बताया कि वे वहां तैनात किये जाने से खुद बेहद नाखुश और दबाव में थे।

6- सरकार का कहना था कि मेले में कुल 2700 कैमरों की आँखों से पूरे मेला क्षेत्र की निगहबानी की जा रही थी। ऐसे में भीड़ का प्रवाह किन जगहों पर रूक रहा है यह क्यों नहीं देखा जा सका? कैमरे से निगहबानी करने वाले अफसर भीड़ के संकेन्द्रण को रोक क्यों नहीं सके। यह मेला प्रषासन की सरासर लापरवाही को ही दर्षाता है। मेला में क्या केवल लोगों की संख्या गिनकर वल्र्ड रिकार्ड बनाने के लिए इतने मंहगे एआई कैमरे लगाये गये थे? अगर ऐसा है तो इस व्यवस्था से जनता को क्या लाभ हुआ, जब इसके बाद भी वे भगदड़ का षिकार हुए।

7-माघ मेले के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने 144 साल बाद ऐसा कुंभ लगने का प्रचार करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में संगम स्नान के लिए आमन्त्रित किया, ताकि वे धार्मिक प्रचार कर सकें हिन्दुत्व की भावना में लोगों को डुबो सकें, और सबसे अधिक जमावड़े का विष्व रिकार्ड बना सकें। ऐसी भी खबरें आई हैं कि कई धार्मिक/राजनैतिक संगठन, लोगों को अपनी गाड़ियों में भर-भर कर ला रहे थे। जबकि इतने लोगों को अपनी धरती पर समाने में इलाहाबाद का भूगोल सक्षम नहीं है। अगर मेले प्रशासन के आंकड़ों पर विश्वास किया जाए, तो देश भर से करोड़ों लोग इस धार्मिक आयोजन में उमड़े और वही सबसे ज्यादा परेशान रहे।

8-सोशल मीडिया में व्यवस्था से दुखी तीर्थयात्रियों की आपबीती की खबरें, साक्षात्कार और वीडियो भरे पड़े हैं और उनकी भी खबरों से, जो अपने प्रियजनों की तलाश में असहाय भटकते रहे। बिहार, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि से आए ये लोग मेले मे अस्थाई बने ‘खोया-पाया केंद्रों’ से लेकर अस्पतालों और शवगृहों तक कई किलोमीटर पैदल चल रहे थे और अधिकारियों द्वारा उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी। यह भी कहा जा रहा है कि जानकारी मांगने के लिए वे जहां भी इकट्ठा हो रहे हैं, प्रशासन उन्हें वहां से जबरन खदेड़ रहा है। यह प्रशासनिक असंवेदनशीलता उस समय अधिक देखने को मिल रही थी, जब उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित मशहूर हस्तियां पूरे धूमधाम से संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रही थीं।

9-यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद मेले के लिए बनी गाइडलाइन्स की अवहेलना करने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कुंभ मेले की व्यवस्था की आलोचना करने वाले और पत्रकार, विपक्षी नेता सहित जवाबदेही की मांग करने वाले सभी लोग ‘सनातन धर्म के विरोधी’ हैं, उन्होंने बेहद जल्दबाजी में यह भी दावा किया कि पुलिस, भगदड़ के पीछे ‘षड्यंत्र के पहलू’ की जांच कर रही है। यह प्रशासनिक कुप्रबंधन के मुद्दे को सांप्रदायिक बनाने का प्रयास प्रतीत होता है। मुख्य धारा की मीडिया का एक समूह ‘जी न्यूज’ कुंभ मेले में ‘नक्सल पहलू’ की खबर पहले ही चला चुका है। ये सारे बयान, जवाबदेही की किसी मांग का ‘अपराधीकरण’ करने का आधार तैयार करने का प्रयास लगते हैं, इसका परिणाम यह हो सकता है कि जवाबदेही की मांग कर रहे नागरिक समाज पर अपमानजनक आरोप लगाए जाएं और पहले से ही नफरत से भरे सामाजिक विमर्श को और सांप्रदायिक बनाया जाए।

10-विडंबना यह है कि एक तरफ जहां नफरत के विमर्श का उद्देश्य समाज का ध्रुवीकरण और जवाबदेही के सवाल पर डराना और आतंकित करना है, वहीं दूसरी तरफ नागरिक समाज के स्तर पर बंधुता और एकजुटता का एक प्रभावी दृश्य सामने आया, जिनमें आम नागरिक, विश्वविद्यालय के छात्र, मस्जिद, चर्च और इलाहाबाद के अल्पसंख्यक समाज ने भगदड़ के बाद बदहवास तीर्थयात्रियों के सहयोग के लिए अपने दरवाजे खोल दिए।

11-यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मानवाधिकार आयोग ने भी चुप्पी साध ली।

मृतकों की संख्या

1-मृतकों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 29 जनवरी की शाम 7 बजे प्रेस बयान में कहा कि मरने वालों की संख्या 30 और घायलों की संख्या 60 है। लेकिन प्रत्यक्षदर्षियों का कहना है कि यह संख्या कहीं अधिक थी, हालांकि कोई भी संख्या बताने की स्थिति में नहीं था। लोगों को पोस्टमार्टम हाउस के अन्दर जाने से भी रोक दिया गया था। लेकिन 'न्यूज़लाण्ड्री' ने अपनी रिपोर्ट ने कहा कि उसके पत्रकारों ने 79 नम्बर की लाश अपनी आंखों से देखी है। इस रिपोर्ट का सरकार ने कभी भी खण्डन नहीं किया।

लिंक-
https://www.newslaundry.com/2025/02/05/exclusive-hospital-police-records-suggest-at-least-79-deaths-in-kumbh-stampede

2-19 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष के पूछे जाने पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधानसभा में मरने वालों की संख्या 37 बताई।

3-एक चैनल पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि उसने एक बार में 10-10 लाशें ढोई हैं और करीब 10 चक्कर लगाये हैं।

4-झूंसी में हुई भगदड़ के प्रत्यक्षदर्षी भी मौतों की संख्या नहीं बता पाते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि झूंसी में ही उन्होंने कई लोगों को गिरते और मरते देखा है। चैनल 'लल्लनटॉप' ने जो खबर चलाई उसमें जेसीबी से चप्पल कपड़े और लागों के बैग को जिस मात्रा में ले जाते दिखाया गया है, उससे भी लगता है कि यह भगदड़ काफी बड़ी थी और मृतकों की संख्या भी अधिक हो सकती है।

5-मेले के समापन के बाद मेले में खोये और पाये लोगों का जो आंकड़ा जारी किया गया उसमें भी यह कहा गया कि 869 लोग अभी भी लापता हैं। ये एक बड़ी संख्या है, आखिर इतने लोग कहां गये। इतनी बड़ी संख्या का अब तक पता न चल पाना भी मृतकों की संख्या के बारे में संदेह पैदा करता है।

6-7 अप्रैल को समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर में कहा गया कि नगरनिगम कुंभ की भगदड़ में मरने वालों को मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर रहा है और अब तक जारी प्रमाणपत्रों की संख्या 50 है, जिसमें सबसे अधिक संख्या 34 झूंसी जोन की है।

7-स्वरूपरानी पोस्टमार्टम हाउस में हमारी टीम ने रजिस्टर में संगम और झूंसी क्षेत्र से प्राप्त जिन कुचल हुए 'अज्ञात' लोगों की तस्वीरें देखी, वे भी मरने वालों की संख्या अधिक होने और उसे छुपाये जाने की ओर संकेत करती है।

अतः हमारा निष्कर्ष है कि मेले में 28 से 29 जनवरी की रात और भोर में हुई दो जगह की भगदड़ में 37 से ज्यादा लोगों की मौत होने के ढेरों संकेत मिल रहे हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि मृतकों की सही संख्या के लिए इन सब का एक बार फिर से निरीक्षण करने की ज़रूरत है। सरकार का कहना था कि मेले में कुल 2700 कैमरों की आँखों से पूरे मेला क्षेत्र की निगहबानी की जा रही थी। ऐसे में भगदड़ की तरह ही मृतकों की संख्या को कैमरों की नज़र से क्यों नहीं देखा जा सका।

यह भी समझ से परे है कि सरकार की ओर से मृतकों के नामों वाली सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। षुरूआती दिनों में जब पत्रकार और पीड़ित परिजन सूची जारी करने की मांग कर रहे थे, तो मेला प्रषासन के प्रभारी वैभव कृष्ण आनन्द द्वारा लोगों को धमकाने की बात भी सामने आई है।

इन निष्कर्षों के आधार पर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, उत्तर प्रदेश यह मांग करती है-

1. पीयूसीएल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से मांग करता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, वर्तमान भगदड़ की दुर्घटना पर अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक करें। चूंकि यह नागरिकों के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, इसलिए एनडीएमए को राज्य प्रशासन को दी गई अपनी सलाह भी सार्वजनिक करनी चाहिए कि भगदड़ के बाद महाकुंभ मेले के बचे शेष सप्ताहों में ऐसी आपदाएं न हों, इसके लिए तत्काल प्रयास के अंतर्गत किन दिशानिर्देशों को जारी किया गया।

2. उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल एक व्यापक दस्तावेज जारी करे, जिसमें इन बातों का खुलासा हो-

अ- 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक इलाहाबाद शहर के मुर्दाघरों, अस्पतालों और पुलिस थानों में दर्ज मृतकों के पहचाने गए और अज्ञात दोनों का विवरण।

ब- 29 जनवरी से लेकर मेले की समाप्ति तक भगदड़ के आसपास के अस्पतालों में भर्ती सभी लोगों, जिनका इलाज किया गया और अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, उनका विवरण।

स- 29 जनवरी से लेकर मेले की समाप्ति तक कुंभ मेला क्षेत्र से परिवारों और दोस्तों द्वारा लापता बताए गए सभी व्यक्तियों का विवरण।

द- अज्ञात मृतकों और घायलों की तस्वीरें दिखाने वाले विज्ञापन सरकारी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों और समाचार पत्रों में सरकार द्वारा सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

3. केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह-

अ- मेलों के लिए बनी गाइडलाइन्स की अवहेलना किस स्तर से घटित हुई, इसकी जांच करे। यह लापरवाही जिस स्तर पर घटित हुई है, उसी अनुरूप उसे दण्ड दिये जाय, क्योंकि यह एक तरीके की सामूहिक हत्या है।

ब- निर्दिष्ट नोडल अधिकारियों के माध्यम से अन्य राज्यों से आए नागरिकों के दावों को संसाधित करने के लिए उनके राज्य सरकारों के साथ जिम्मेदारी से समन्वय करें, ताकि अन्य राज्यों के नागरिकों को इलाहाबाद में असहाय रूप से भटकना न पड़े, उन्हें उनके परिजन का पता चल सके और मृत होने की स्थिति में उन्हें मृत्यु प्रमाणपत्र मिल सके।

स-29 जनवरी 2025 की भगदड़ में मारे गए या घायलों के प्रियजनों को मुआवजे के लिए एक न्यायसंगत और समान नीति तैयार करें।

4.उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक न्यायिक जांच आयोग पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। फिर भी-

अ-नियुक्त किए गए आयोग को तत्काल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक महाकुंभ क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य, मेडिकल और पुलिस रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। आयोग उनकी गहन जांच करे।

ब-नियुक्त किए गए आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह अत्यधिक सुलभ हो और यह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र में सत्ताधारी राजनीतिक दलों के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम करे। आयोग की संरचना की तदनुसार समीक्षा की जानी चाहिए। नियुक्त किए गए आयोग द्वारा तत्काल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 के बीच कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नागरिक प्रशासन और पुलिस दोनों में सभी अधिकारियों के कार्यभार को उचित रूप से संशोधित किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जांच से संबंधित साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या हस्तक्षेप करने में सक्षम न हों।

स- नियुक्त किए गए आयोग की तरफ से एक नागरिक अपील जारी कर या जनसुनवाई के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम जनता, आयोग के पास निजी तस्वीरें, वीडियो, बयान और अन्य जानकारी दाखिल करें, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे बिना किसी भय या प्रतिशोध के घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

द-आयोग घटना के सभी गवाहों की गोपनीयता व सुरक्षा सुनिश्चित करें।

प-आयोग को दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के माध्यम से जांच तेजी से करनी चाहिए।

फ-भगदड़ से बचकर निकल आये लोग, जिन्होंने ढेरों लाशें देखीं या जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खो दिया, जो अभी भी उसके प्रभाव और देहशत में हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही या बैचैनी घबराहट बनी रह रही है, सरकार द्वारा उनकी मानसिक कांउसिलिंग की व्यवस्था की जाय।

पीयूसीएल उत्तर प्रदेश अपनी इस जांच रिपोर्ट के माध्यम से उन तथ्यों को मीडिया और जांच आयोग के सामने रखने की एक कोशिश कर रहा है, ताकि भगदड़ में मारे गये घायल लोगों के साथ हर संभव न्याय हो सके, साथ ही भविष्य में ऐसे आयोजनों में इस तरह ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाये जा सकें।

उत्तर प्रदेश पीयूसीएल द्वारा जारी

कैंप ऑफिस: पीयूसीएल उत्तर प्रदेश इकाई

39/1-16, बिहारीपुर सिविल लाइंस**,**

बरेली**,** यूपी- **243003**

मरो ! तुम इसी तरह मरो !
वे चाहते ही हैं
तुम रोज इसी तरह मरो !
कुछ हल्का हो बोझ
धरती का

वे ये कदापि नहीं कहते
तुम्हारे मरने से ही
इस देश की मुक्ति है

पर तुम्हें मरने देने का सारा इंतज़ाम उन्होंने कर रखा है

बस उन्होंने सी सी टी वी कैमरे को छिपा रखा
अखबारनवीसों को मना कर रखा है

भुखमरी और बाढ़ से
तुम मरते आये ही हो
अब तक
भूकम्प से तुम ही मरे थे

आगजनी में भी तुम मेरे थे
सुरंग के भीतर भीतुम मेरे थे
कुछ साल पहले जब आई थी
एक जानलेवा बीमारी
उसमें तुम मीलों पैदल चलते हुए मरे थे

तुम्हारे मरने का पहला इंतज़ाम यह है

घर से निकले तो रास्ते में सड़क दुर्घटना में मरो !

वहां अगर किसी तरह बच गए
तो जाओ प्लेटफार्म पर

वहीं मची भगदड़ में मरो !
अगर फिर भी
तुम वहां जीवित रह गए

तो जाओ प्रयागराज
वहां तुम कुंभ की भगदड़ में मरो! तुम्हें मरना ही है
इस देश को बचाने के लिए

अगर तब भी जिंदा रहे
तो युद्ध में मरने के लिए धकेल दिए जाओगे

वे जो चुल्लू भर पानी में
डूब कर कभी मरते नहीं
वे कैसे जानेंगे
तुम्हारे मरने का दर्द ?
वे जो रक्त रंजित हाथों से
पुरस्कार लेने में कतई शर्म नहीं महसूस करते
वे कैसे जानेंगे
तुम्हारे मरने की पीड़ा?

इसलिए तुम मरो
धर्म के नशे में मरो

भेड़ बकरी की तरह
मरो!

लाश जब सड़ जाए
लापता हो जाये
पता न चले तुम्हारा
मृतकों की सूची में जब
न हो तुम्हारा नाम

समझो कि इस जीवन में
तुम्हें मोक्ष मिल गया है
इसी मोक्ष के लिए
देवता करते थे तप

तुम सौभाग्यशाली हो
कि भगदड़ में मरने से
तुम्हें यह अवसर मिल गया !

- विमल कुमार